

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/19/ 11215

दिनांक: 18/9/19

आदेश

श्री सुशील कुमार शर्मा, सभापति, नगर परिषद, चित्तौडगढ़ को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)()जांच/डीएलबी/19/2263-75 दिनांक 13.09.19 द्वारा सभापति के पद से निलम्बित किया गया है। नगर परिषद चित्तौडगढ़ में सभापति का पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री जगदीश राज शर्मा, सदस्य, वार्ड नं. 40 नगर परिषद चित्तौडगढ़ को सभापति के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक की कालावधि या सभापति के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए सौंपा जाता है।

उज्ज्वल राठौड़
(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/19/ 11216-27

दिनांक: 18/9/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़।
8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगापी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
9. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ़।
10. श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री जगदीश राज शर्मा, सदस्य, वार्ड नं. 40 नगर परिषद चित्तौडगढ़।
11. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी